न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, गाजीपुर
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code No.–UP6352
फौजदारी निगरानी संख्या–189/2024
CNR No. UPGH01004550–2024

विजय कुमार सिंह पुत्र शम्भूनाथ सिंह निवासी ग्राम लोदीपुर वार्ड सं० 2 थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर।

––––––––निगरानीकर्ता

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य,
2– राजेन्द्र यादव पुत्र पुरुषोत्तम यादव
3– हरिहर यादव पुत्र राजेन्द्र यादव
निवासीगण ग्राम हेतिमपुर, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर।
4– जयप्रकाश यादव पुत्र भोला निवासी ग्राम डिल्लाचवर, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर।

––––––––––विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मु०अ०सं०–257/2023 विजय कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, धारा 323, 504, 506, 427, 406 भा.दं.सं., थाना जमानियां, जिला गाजीपुर में पारित आदेश दिनांक–30.05.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांकित–14.05.2020 को निरस्त किया गया है।

2– प्रस्तुत निगरानी के संबन्ध में सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा द्वारा थाना जमानियां पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी जमानियाँ, जिला–गाजीपुर, में सुमन ढाबा के नाम से ढाबा चलाता है।

प्रार्थी के यहाँ राजेन्द्र यादव पुत्र स्व पुरूषोतम यादव निवासी ग्राम पर काफी आते जाते रहे। उक्त राजेन्द्र यादव से प्रार्थी का तालुकात काफी गहन और प्रेमपूर्ण रहा है। उक्त राजेन्द्र यादव दिनांक 01.09.2021 अपने पुत्र हरिहर यादव व रिश्तेदार जय प्रकाश यादव पुत्र भोला यादव निवासी हेतिमपुर, थाना–जमानियाँ, जिला–गाजीपुर के साथ प्रार्थी के सुमन ढाबे पर आये और अपनी छोटी पुत्री की शादी दिनांक 02.02.2022 को सम्पन्न होना कहते हुए कहा कि शादी के इंतजाम के लिए कहे कि मैं आराजी नं 103 रकबा 0.1010 हे आराजी नं 93 रकबा 0.6060 हे० स्थित मौजा हेतिमपुर, तहसील–जमानियाँ, जिला–गाजीपुर, के अपना निहित सम्पूर्ण अंश विक्रय करना चाहता हूँ। प्रार्थी ने उनकी बातों पर 15 दिन के लिए समय मांगा। उक्त राजेन्द्र पुनः 15 दिन उपरान्त दिनांक– 15.09.2021 को मेरे ढाबे पर आये और उक्त आराजियात उपरोक्त में निहित सम्पूर्ण हिस्से खरीद विक्रय की बात–चीत 10,00,000/– रू (दस लाख रू) में तय करार हुआ। विक्रय तय होने के उपरान्त बयान स्वरूप प्रार्थी उपरोक्त राजेन्द्र को मु० 3,00,000/–रू (तीन लाख रू) जरिये चेक नं 56248 भारतीय स्टेट बैंक जमानियाँ, जिला–गाजीपुर, को खाते से तीन लाख दिया। तत्पश्चात विक्रय करार दिनांक–15.09.2021 के मुताबिक उपरोक्त चेक के अलावा उपरोक्त राजेन्द्र के पुत्र हरिहर के नाम 10 चेकों (SBI ZAMANIA और UBI ZAMANIA) के माध्यम से क्रमशः चेक संख्या 0201009, 26250, 186578, 347243, 10032392, 02101010, 247244, 186579, 020111 और 347247 के माध्यम से मु 1,75,000/–रू व रिश्तेदार जय प्रकाश यादव के नाम चेक से 347258 व चेक से 186586 के माध्यम से मु० 20,000/–रू और राजेन्द्र को 30,00,000/–रू नगद दिनांक– 21.12.2021 और नगद 50,000/–रू दिनांक 28.01.2022 को एवं जरिये मोबाईल मु 50,000/–रू दिनांक 20.01.2022 को बेड व सोफा, आलमारी के लिये खाते में दिया है। इस प्रकार उपरोक्त राजेन्द्र को कुल मु 8,95,000/–रू दिये करार विक्रय के मुताबिक शेष 1,05000/–रू देना बाकी रहा। कोरोना काल की वजह से एग्रीमेन्ट नहीं लिखा गया और विश्वास पर प्रार्थी ने उक्त धनराशि राजेन्द्र यादव को बाबत कराकर उक्त राजेन्द्र की छोटी पुत्री की शादी दिनांक 02.02.2022 हो गयी । करार विक्रय के अनुसार बाकी

रकम 1,05000/–रू अदा कर विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु कहता रहा परन्तु उपरोक्त राजेन्द्र कोई न कोई बहाना बनाता रहा और रजिस्ट्री करने से कतराता रहा। अब उक्त राजेन्द्र यादव की नियत खराब हो गयी और प्रार्थी का पैसा हड़पना चाहता है। उक्त राजेन्द्र यादव ने प्रार्थी के साथ विश्वासघात करके और मिथ्या विक्रय करार मात्र अपने लड़की की शादी के लिए प्रार्थी उपरोक्त धनराशि हम प्रार्थी से ले लिया है और रजिस्ट्री भी नहीं करना चाहता है। प्रार्थी उपरोक्त राजेन्द्र के जरिये विधिक नोटिस दिनांक 03.04.2023 आगाह किया कि विक्रय करार की शेष धनराशि 1,05,000/–रू (एक लाख पाँच हजार रू) प्रार्थी से लेकर 15 दिन में बैनामा कर देवे उक्त विधिक नोटिस प्राप्ति के उपरान्त उक्त राजेन्द्र यादव व उसका पुत्र हरिहर यादव व रिश्तेदार जय प्रकाश तथा दो अज्ञात व्यक्ति दिनांक– 18.04.2023 को रात्रि करीब 08:15 बजे प्रार्थी के सुमन ढाबे पर आये और प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी–भद्दी गालिया देते हुए भगौना में रखा चावल व दाल व अन्य खाद्य सामग्री को जमीन पर बिखेर दिये प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर लात मुक्का थप्पड़ से मारने लगे। ढाबे के अन्दर भोजन कर रहे लोग आकर बीच बचाव कर प्रार्थी की जान बचाये। उक्त राजेन्द्र यादव ने धमकी दिया कि प्रार्थी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेगा तो प्रार्थी की हत्या कर देंगे। और लाश को गायब कर देंगे। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। प्रार्थी को उस घटना से काफी शक लगा और बिमार हो गया हालत दुरूस्त होने पर थाना–जमानियों, में घटना की सूचना दिया लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थी मजबूर होकर श्रीमान जी के यहाँ प्रार्थना–पत्र दे रहा है।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना जमानियां पर मु०अ०सं०–257/2023 अन्तर्गत धारा–323,504,506,427,406 भा.दं.सं. अभियुक्तगण राजेन्द्र यादव, हरिहर यादव, जयप्रकाश यादव व दो व्यक्ति नाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

4– उपरोक्त प्रकरण में विवचेना अधिकारी द्वारा घटना को सत्य न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी बयान गवाहान निरीक्षण घटना स्थल

अवलोकन दस्तावेज से मुकदमा उपरोक्त के वादी विजय कुमार सिंह द्वारा अपने ढाबे पर मिट्टी गिराने का ठेका प्रतिवादी राजेन्द्र यादव को दिया गया था, जिसके बावत वादी द्वारा प्रतिवादी को पैसा चेक के माध्यम से दिया जाना पाया जा रहा है और गवाहो के बयान से यह भी स्पष्ट है कि उन दोनों के मध्य कोई मारपीट व गाली गलौज जैसी घटना का होना नही पाया गया तथा वादी द्वारा अपने तहरीर मे जमीन क्रय करने के लिये पैसा दिये जाने का कथन कथन किया गया है, जबकि आरोपी के द्वारा मिट्टी गिराने से सम्बन्धित साक्ष्य कथित रुपयो के एवज में प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा जो रुपया दिया गया था, वह मात्र मिट्टी गिराने के लिये था जो आरोपी द्वारा नियमानुसार मिट्टी गिराया गया है। जमीन क्रय करने के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–01/2024 दिनांक 28.01.2024 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– उपरोक्त अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध वादी विजय कुमार सिंह द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.05.2020 को निरस्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर वादी/निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6– निगरानीकर्ता/वादी ने निगरानी में आलोच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में निगरानीकर्ता के प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष जमानियां द्वारा विवेचना उपरांत दाखिल अन्तिम रिपोर्ट (एफ०आर०) में आपत्ति प्रार्थना पत्र जो निगरानीकर्ता द्वारा दी गयी थी, उस पर सही ढंग से विचारण न करके उसे स्वीकृति प्रदान कर विधिक त्रुटि की गयी है और धारा 161 द०प्र०सं० के गवाहान का भी बयान सही ढंग से संकलित नहीं किया गया है। चूंकि मामलों में बैंक द्वारा भुगतान हुआ था, जिस कार्य के लिये भुगतान किया गया था विवेचक द्वारा उसकी जांच नहीं की गयी और न ही बैंक के चेकों और कागजात का सही ढंग से विश्लेषण ही किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि केस डायरी द्वारा भी विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०वि० का अपराध स्पष्ट रूप से

प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है। उसके बावजूद भी मुकदमें के विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर मनमाने ढंग से अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करने में बैंक से सम्बन्धित प्रपत्रों का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना आधार व बिना स्वस्थ मस्तिष्क के प्रयोग करते हुए अत्यन्त जल्दीबाजी किया गया है, जो हर दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार करने में वर्तमान विधि व्यवस्थाओं के प्राविधानों को नजरअंदाज किया गया है। उपरोक्त आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 अन्य बिन्दुओं पर भी निरस्त होने योग्य है।

7– निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या–5 ब/1 लगायत 3 प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के स्तर पर निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है।

8– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके विधिक त्रुटि कारित किया है एवं विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए अविधिक तौर पर निगरानीकर्ता को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.05.2024 को अपास्त करने की याचना की गयी है।

9– विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विवेचक की अंतिम रिपोर्ट व विवेचना सही पाते हुए निगरानीकर्ता के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का जो प्रश्नगत आदेश पारित किया है, वह विधिक प्रावधानों के अनुरूप है, उसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः निगरानी निरस्त करने की याचना की गयी है।

10– पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली

तथा आलोच्य आदेश का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

11– प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा/निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या– 2 लगायत 3 के मध्य आराजी संख्या–103 व 93 के विक्रय को लेकर बातचीत तय होने तथा उक्त जमीन के विक्रय की बातचीत तय होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा मु० 896000/– रुपये निगरानीकर्ता से धोखा देकर हड़प लेने के फलस्वरुप निगरानीकर्ता द्वारा मु०अ०सं०– 257/2023 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 427, 406 भा.दं.सं. विपक्षीगण राजेन्द्र यादव, हिरहर यादव, जय प्रकाश यादव सहित दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाना जमानियां पर पंजीकृत कराया गया।

12– उक्त प्रकरण में बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध न बनना पाते हुए इस उल्लेख के साथ अंतिम रिपोर्ट सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित की गयी कि मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी बयान गवाहान निरीक्षण घटना स्थल अवलोकन दस्तावेज से मुकदमा उपरोक्त के वादी विजय कुमार सिंह द्वारा अपने ढाबे पर मिट्टी गिराने का ठेका प्रतिवादी राजेन्द्र यादव को दिया गया था, जिसके बावत वादी द्वारा प्रतिवादी को पैसा चेक के माध्यम से दिया जाना पाया जा रहा है और गवाहो के बयान से यह भी स्पष्ट है कि उन दोनो के मध्य कोई मारपीट व गाली गलौज जैसी घटना का होना नही पाया गया। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि शिकायकर्ता व अभियुक्त राजेन्द्र यादव के मध्य जो लेन देन हुआ था। राजेन्द्र यादव के पास जे.सी.बी. व ट्रेक्टर था। विजय कुमार सिंह ने राजेन्द्र यादव को अपने ढाबा पर मिट्टी गिराने का ठेका दिया था तथा उक्त मिट्टी गिराने के एवज में राजेन्द्र यादव को चेक माध्यम से कुल चार लाख रुपये दिये थे। जमीन के लेन देने की बात गलत है। विजय कुमार सिंह व अभियुक्तगण के मध्य मिट्टी गिराने के सम्बंध मे करार हुआ था।

13– विद्वान विचारण न्यायालय के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद है, जिससे प्रकरण सिविल प्रकृति का होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है।

14– प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सिविल जज (सी०डि०), गाजीपुर के

न्यायालय में मूलवाद संख्या–28/2026 लम्बित बताया गया है, जो इस प्रकरण के निगरानीकर्ता विजय कुमार सिंह द्वारा विपक्षीगण राजेन्द्र यादव एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि जिस संव्यवहार के आधार पर दाण्डिक कार्यवाही को अग्रसारित किया गया है, उसके विषय में सिविल वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है।

15– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अद्यतन निर्णय **अनुकूल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2025** आइ.एन.एस.सी**. 1153** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि–"आपराधिक कानून का उपयोग वाणिज्यिक या संविदात्मक मामलों में हिसाब–किताब निपटाने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है, और इस तरह का दुरुपयोग प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है... नागरिक विवादों को निपटाने या प्रतिशोध लेने के लिए आपराधिक कानून की मशीनरी का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

16– इसी प्रकार निर्णय विधि **इंडियन ऑयल बनाम मैसर्स एन.ई.पी.सी. इंडिया लि० (2006) 6** एस.सी.सी**. 738** में यह अवधारित किया गया है कि–"हालांकि इस मुद्दे पर, व्यावसायिक हलकों में विशुद्ध रूप से सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचलित धारणा के कारण है कि नागरिक कानून के उपाय समय लेने वाले हैं और उधारदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी भी धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से आपराधिक मुकदमे में फंस जाता है, तो सुलह की प्रबल संभावना रहती है। आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव डालकर नागरिक विवादों और दावों को निपटाने का कोई भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

17– इसी प्रकार निर्णय विधि **गंगाधर कालिता बनाम असम राज्य (2015) 9** एस.सी.सी**. 647** में यह अवधारित किया गया है कि–"सिविल प्रकृति के संपत्ति विवादों के संबंध में आपराधिक शिकायतें, केवल अभियुक्तों को परेशान करने या सिविल मुकदमेबाजी में दबाव डालने के लिए दायर की गई, प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

18– इसी प्रकार निर्णय विधि **शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलेश आर. सिंह बनाम उत्तर**

प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील न०–2963/2025 निर्णय दिनांक–**14.07.2025 : 2025 आइ.एन.एस.सी. 869** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दीवानी उपायों के विकल्प के रुप में आपराधिक कार्यवाहियों का उपयोग करने की प्रथा को अस्वीकृत कर दिया, यह देखते हुए जहाँ विवाद अनिवार्य रुप से दीवानी है, वहाँ आपराधिक अभियोग के माध्यम से धन वसूली की कार्यवाहियाँ नहीं का जा सकती हैं।

19– अतः उपरोक्त विधिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश दिनांकित–30.05.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त प्रकरण में विवेचना में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि न होने के बावत जो अभिमत व्यक्त किया गया है, वह अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया है। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि विद्यमान नहीं है। तदनुसार यह निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। तदनुसार विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मु०अ०सं०–257/2023 विजय कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, धारा 323, 504, 506, 427, 406 भा.दं.सं., थाना जमानियां, जिला गाजीपुर में पारित आदेश दिनांक–30.05.2024 पुष्ट किया जाता है।

मूल पत्रावली इस निर्णयादेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये।

दिनांक–04.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर

उपरोक्त निर्णय व आदेश, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–04.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.06.04 14:36:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court